दिनांक 15.06.2026

नाली पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई, जेसीबी से हटाया गया निर्माण

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जोन–2 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड फौजी नगर में नाली के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी राजकुमार द्वारा नाली के ऊपर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। इसके कारण नालियों की नियमित सफाई एवं रखरखाव कार्य प्रभावित हो रहा था, जिससे क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बाधित होने की आशंका बनी हुई थी। मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद जोन–2 राजस्व विभाग द्वारा जांच कर कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से नाली के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर नाली को अतिक्रमण मुक्त कराया। राजस्व अधिकारी ने बताया कि नालियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध कब्जों के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है तथा बरसात के दौरान जलभराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसे देखते हुए ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान जोन–2 राजस्व विभाग एवं बेदखली की संयुक्त टीम मौजूद रही। निगम प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक भूमि, नालियों एवं शासकीय संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील करते हुए कहा है कि भविष्य में भी अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।